**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2173**
**सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)**

**बेरोजगारी दर**

**2173. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण के द्वारा देश में प्रचलित बेरोजगारी दर के आंकड़े कब तक सार्वजनिक किए जाएंगे;

(ख) देश में बेरोजगारी की वर्तमान दर तथा देश में पिछले 15 वर्षों के दौरान बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में देश में बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में शिक्षित तथा अशिक्षित (अकुशल) बेरोजगारों को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बेरोजगारी दर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा करंदलाजे)**

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। अखिल भारतीय आधार पर बेरोजगारी दर (यूआर) वर्तमान में वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के माध्यम से जारी की जाती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) में नीचे दी गई तालिका के अनुसार घटती प्रवृत्ति है:

| वर्ष | यूआर (% में) |
|---|---|
| 2017-18 | 6.0 |
| 2018-19 | 5.8 |
| 2019-20 | 4.8 |
| 2020-21 | 4.2 |
| 2021-22 | 4.1 |
| 2022-23 | 3.2 |

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान बीमित कामगारों को पात्रता शर्तों के अधीन किया जाता है जो अपना रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक कमाई के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही बीमित कामगारों के लिए लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है, जिन्होंने कोविड-19 के कारण रोजगार खो दिया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा की है।

*****

**अनुबंध**

**लोक सभा के दिनांक 05.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)**

| क्र.स. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 5.8 | 7.7 | 6.7 | 5.7 | 7.7 | 4.8 |
| 3 | असम | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 4.1 | 3.9 | 1.7 |
| 4 | बिहार | 7.0 | 9.8 | 5.1 | 4.6 | 5.9 | 3.9 |
| 5 | छत्तीसगढ | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| 6 | दिल्ली | 9.4 | 10.4 | 8.6 | 6.3 | 5.3 | 1.9 |
| 7 | गोवा | 13.9 | 8.7 | 8.1 | 10.5 | 12.0 | 9.7 |
| 8 | गुजरात | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 |
| 9 | हरियाणा | 8.4 | 9.3 | 6.4 | 6.3 | 9.0 | 6.1 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 5.5 | 5.1 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 4.3 |
| 11 | झारखंड | 7.5 | 5.2 | 4.2 | 3.1 | 2.0 | 1.7 |
| 12 | कर्नाटक | 4.8 | 3.6 | 4.2 | 2.7 | 3.2 | 2.4 |
| 13 | केरल | 11.4 | 9.0 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 7.0 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
| 15 | महाराष्ट्र | 4.8 | 5.0 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
| 16 | मणिपुर | 11.5 | 9.4 | 9.5 | 5.6 | 9.0 | 4.7 |
| 17 | मेघालय | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 6.0 |
| 18 | मिजोरम | 10.1 | 7.0 | 5.7 | 3.5 | 5.4 | 2.2 |
| 19 | नागालैंड | 21.4 | 17.4 | 25.7 | 19.2 | 9.1 | 4.3 |
| 20 | ओडिशा | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 5.3 | 6.0 | 3.9 |
| 21 | पंजाब | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
| 22 | राजस्थान | 5.0 | 5.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 |
| 23 | सिक्किम | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
| 24 | तमिलनाडु | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 |
| 25 | तेलंगाना | 7.6 | 8.3 | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 4.4 |
| 26 | त्रिपुरा | 6.8 | 10.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 1.4 |
| 27 | उत्तराखंड | 7.6 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 7.8 | 4.5 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 2.4 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप | 15.8 | 13.5 | 12.6 | 9.1 | 7.8 | 9.7 |
| 31 | चंडीगढ़ | 9.0 | 7.3 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 4.0 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा | 0.4 | 1.5 | 3.0 | 4.2 | | |
| | दमन और दीव | 3.1 | 0.0 | 2.9 | | 5.2 | 2.5 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 5.4 | 5.1 | 6.7 | 5.9 | 5.2 | 4.4 |
| 34 | लद्दाख | - | - | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 6.1 |
| 35 | लक्षद्वीप | 21.3 | 31.6 | 13.7 | 13.4 | 17.2 | 11.1 |
| 36 | पुडुचेरी | 10.3 | 8.3 | 7.6 | 6.7 | 5.8 | 5.6 |
| **अखिल भारत** | | **6.0** | **5.8** | **4.8** | **4.2** | **4.1** | **3.2** |

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई